भारतीय ऑटोमोबाइल उत्पाद कर्मचारी संघ

बनाम

इंजीनियरिंग वर्कर्स एसोसिएशन, बॉम्बे व अन्य।

मार्च 27, 1990

[कुलदीप सिंह और पी.बी. सावंत, जे जे.]

महाराष्ट्र व्यापार संघों की मान्यता और अनुचित श्रम व्यवहार निवारण अधिनियम, 1971: धारा 10,15 और 19 व्यापार संघ द्वारा मान्यता की मांग किया जाना-औद्योगिक न्यायालय का कर्तव्य-गुप्त मतदान-मान्यता प्रदान करने का तरीका नहीं।

श्रम कानून-व्यापार संघ -मान्यता-उपक्रम, उद्योग व समाज के सभी कामगारों के लिए अत्यधिक हित का मामला-मात्र सदस्यता योग्यता की संतुष्टि-कोई आधार नहीं।

अभ्यास और प्रक्रिया: प्रक्रिया जो विधि के अनिवार्य प्रावधानों के विरूद्ध है, की पालना की पक्षकारों की सहमति-अवैधता का उपचार नहीं कर सकती।

चतुर्थ प्रत्यर्थी, एक कंपनी के बम्बई राज्य में दो कारखाने थे। प्रथम प्रत्यर्थी- संघ ने कम्पनी के उपक्रमों में से एक के लिए धारा-12 महाराष्ट्र

व्यापार संघों की मान्यता और अनुचित श्रम व्यवहार निवारण अधिनियम, 1971 के तहत औद्योगिक न्यायालय से मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। जब वह ऐसे मान्यता प्राप्त संघ के रूप में कार्य कर रहा था, कई श्रमिकों ने दावा किया कि उन्होंने उक्त संघ से इस्तीफा दे दिया है और एक नया संघ बनाया है, अपीलार्थी संघ ने इसे 7 जनवरी, 1981 को पंजीकृत कराया।

अपीलार्थी-संघ ने 9 अक्टूबर, 1981 को धारा 13(1) (ii) के तहत प्रथम प्रत्यर्थी-संघ की मान्यता निरस्त करने हेतु इस आधार पर आवेदन किया कि उत्तरवर्ती की उपक्रम की सदस्यता पूर्ववर्ती छः महीने में उपक्रम के श्रमिकों की कुल संख्या की 30 प्रतिशत से कम हो गई। प्रथम प्रत्यर्थी-संघ द्वारा आरोपों का खंडन किया गया और आगे यह तर्क दिया कि प्रासंगिक अवधि के लिए इसकी सदस्यता 30 प्रतिशत से अधिक थी।

अपीलार्थी-संघ द्वारा 1 मार्च 1982 को प्रथम प्रत्यर्थी-संघ की मान्यता रद्द करने हेतु यह आरोप लगाते हुए एक अन्य आवेदन धारा 13(1) (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया कि मान्यता मिथ्याव्यपदेशन और/अथवा धोखाधडी से प्राप्त की गई और यह भी कि उसे मान्यता गलती से दे दी गई। औद्योगिक न्यायालय ने अपीलार्थी-संघ के पक्ष में राहत प्रदान की, लेकिन उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया, और इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई।

कुछ समय बाद अपीलार्थी-संघ ने खुद को प्रथम-प्रत्यर्थी संघ के स्थान पर मान्यता प्राप्त संघ के रूप में पंजीकृत करने के लिए धारा 14 के तहत इस आधार पर एक आवेदन दायर किया कि उसके पास उपक्रम में श्रमिकों की सबसे बड़ी सदस्यता थी, अर्थात कुल संख्या का लगभग 69 प्रतिशत। इस दावे का प्रथम प्रत्यर्थी-संघ ने, अपने जवाब में, विरोध किया और यह अभिवचन किया गया कि उसकी सदस्यता 1400 कार्यकर्ताओं की थी। पक्षकारों द्वारा उनकी दलीलों के साथ उनकी सदस्यता के विवरण प्रस्तुत किए गए तथा अपीलार्थी-संघ द्वारा औद्योगिक न्यायालय के समक्ष दोनों संघों की सदस्यता को सत्यापित करने के लिए जांच अधिकारी को निर्देश दिए जाकर धारा 12(2) के तहत जांच करने का अनुरोध किया।

औद्योगिक न्यायालय द्वारा उसके उपरान्त अधिनियम के तहत नियुक्त जांच अधिकारी को दोनों संघ की सदस्यता की जांच के निर्देश दिए।

जब जांच चल रही थी, दोनों संघों द्वारा निम्नलिखित आशय के मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए:

(1) किसी भी संघ की मान्यता से संबंधित मुद्दे का निर्णय गुप्त मतदान द्वारा किया जाए तथा जांच अधिकारी को उक्त मतदान कराने का निर्देश दिया जाए; (2) जिस संघ के पास बहुमत होगा उसे मान्यता प्राप्त व्यापार संघ माना जाएगा और जो बहुमत प्राप्त करने में विफल रहेगा वह कोई प्राविधिकता या आपत्ति नहीं उठाएगा और (3) जो संघ मतदान में

बहुमत हासिल करने में विफल रहेगा वह उस संघ पर तीन वर्षों की अवधि तक कोई आपत्ति नहीं उठाएगा, जिसे इस प्रकार मान्यता प्राप्त संघ घोषित किया गया।

औद्योगिक न्यायालय द्वारा जांच अधिकारी को कंपनी के परिसर में गुप्त मतदान कराने के लिए निर्देश दिए गए और मतदान में वोट देने के हकदार वे कर्मचारी थे जो 1 जुलाई 1985 को कंपनी की रोल में थे। एक गुप्त मतदान कराया गया और अपीलार्थी-संघ को 798 वोट मिले जबकि प्रथम प्रत्यर्थी-संघ को 780 वोट मिले।

प्रथम प्रत्यर्थी-संघ ने यह कहते हुए आपत्तियाँ प्रस्तुत की कि 1 जुलाई 1985 की कट-ऑफ तारीख सही नहीं थी क्योंकि जो कर्मचारी कंपनी में कार्यरत थे और जिनकी सेवाएँ समय-समय पर बाधित होती रही, उन्हें अपने मत का प्रयोग करने का अवसर नहीं दिया गया। औद्योगिक न्यायालय ने उक्त आपत्ति का निस्तारण करते हुए, माना कि चूंकि दोनों संघों के बीच समझौता हुआ था, संघ को मान्यता प्रदान करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया अधिनियम के तहत वैध थी और अपीलार्थी-संघ के अधिनियम की धारा 13(1)(VII) के तहत, प्रत्यर्थी-संघ की मान्यता रद्द करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मान्यता के परिणामस्वरूप, प्रथम प्रत्यर्थी-संघ के स्थान पर अपीलार्थी-संघ को अधिनियम की धारा 14

के तहत मान्यता प्रदान की गई तथा मान्यता का आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया।

प्रथम प्रत्यर्थी-संघ के दो कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की गईं और उन्हें अनुमति दी गई। उच्च न्यायालय द्वारा *महाराष्ट्र जनरल कामगार संघ, बॉम्बे बनाम मजदूर कांग्रेस, बॉम्बे और अन्य, [1983] महा. एल.जे. 147*, में अपने पूर्व के फैसले पर निर्भर करते हुए औद्योगिक न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया।

इस न्यायालय में इस प्रश्न पर अपीलें; क्या अपीलार्थी-संघ को मान्यता देने के लिए औद्योगिक न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अवैध थी।

न्यायालय द्वारा अपीलों को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1. औद्योगिक न्यायालय द्वारा अधिनियम के तहत अपीलार्थी-संघ को मतदान पद्धति की पालना कर मान्यता देने का आदेश अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन में होने से *प्रथम दृष्टया,* अवैध था। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित था। [192 बी]

महाराष्ट्र जनरल कामगार संघ, बॉम्बे बनाम मजदूर कांग्रेस, बॉम्बे और अन्य. [1983] एम.एल.जे. 147, अनुमोदित।

2. धारा 14 दूसरे संघ की मान्यता की प्रक्रिया बताती है तब जब क्षेत्र में पहले से ही कोई मान्यता प्राप्त संघ मौजूद हो। ऐसा आवेदन करने की पूर्ववर्ती शर्तें हैं; (i) मान्यता प्राप्त संघ के पंजीकरण के दिन से कम से कम दो वर्ष की अवधि बीत चुकी है; (ii) ऐसे संघ की मान्यता के लिए पिछले आवेदन के निपटारे की तारीख से एक वर्ष की अवधि बीत चुकी है; (iii) संघ द्वारा मान्यता के लिए धारा 11 में निर्दिष्ट आवश्यक शर्तें संतुष्ट की गई है; और इसके अलावा; (iv) उस कैलेंडर माह से तुरंत पहले के छः कैलेण्डर महीनों की पूरी अवधि के दौरान जिसमें ऐसा आवेदन है, उसकी सदस्यता मान्यता प्राप्त संघ की सदस्यता से अधिक होनी चाहिए; (v) धारा 12 के प्रावधान (जो धारा 19 में निर्दिष्ट शर्तों को शामिल करें), संतुष्ट किए गए हैं। हालाँकि, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अन्य संघों में से किसी के पास कर्मचारियों की सबसे बड़ी सदस्यता है और ऐसे अन्य संघ के रजिस्टर्ड संघ के रूप में रजिस्टर किए जाने के दावे के संबंध में न्यायालय को सूचित किया गया है और ऐसा अन्य संघ भी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है, तो न्यायालय दूसरे संघ को मान्यता प्रदान कर देगा। [188 बी, सी-जी]

3. अधिनियम के तहत किसी संघ को मान्यता देना या मान्यता रद्द करना ऐसा मामला नहीं है जिसका संबंध केवल चुनाव लड़ने वाले संघ या उसके सदस्यो से हो। यह संबंधित उपक्रम के सभी श्रमिकों के हितों के लिए तथा उद्योग व समाज के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण मामला है। अधिनियम के तहत कोई संघ केवल इसलिए मान्यता प्राप्त संघ के रूप में पंजीकृत होने का हकदार नहीं है, क्योंकि यह सदस्यता की योग्यता को संतुष्ट करता है। [190 डी-ई]

4. औद्योगिक न्यायालय को ऐसे संघ को मान्यता प्रदान करने से मना किया गया है चाहे उसकी सदस्यता कुछ भी हो, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि वह धारा 12(5) और 12(6) के तहत उल्लिखित कारणों से अयोग्य है या धारा 19 में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है। [190 ई]

वर्तमान मामले में औद्योगिक न्यायालय द्वारा, ऐसे तरीके से संघ को मान्यता प्राप्त संघ के रूप में रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई जो स्पष्ट रूप से अधिनियम से अलग था। वास्तव में न्यायालय ने पक्षकारों को अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार करने की अनुमति दी और एक सरल पद्धति को अपनाकर निर्देश दिया गया कि जो कोई भी विशेष दिन पर मतदान करने वाले कर्मचारियों के बहुमत का अधिकार हासिल कर ले, वह मान्यता प्राप्त संघ की प्रास्थिति के लिए हकदार होगा। इस प्रकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10, 11, 12, 14 और 19

के अनिवार्य प्रावधानों की अनदेखी की गई। इतना ही नहीं, न्यायालय यह भी पता लगाने में असफल रहा कि क्या उन श्रमिकों में से जिनके द्वारा मतदान किया गया कोई भी किसी भी समय जिसमें मतदान का दिन भी शामिल है, दोनों संघों में से किसी एक के सदस्य थे। प्रतिस्पर्धी संघों की निर्दिष्ट अवधि के दौरान लगातार विशिष्ट सदस्यता के बारे में पता लगाना था तथा ओवरलेपिंग सदस्यता को नजरअंदाज किया जाना था। [191 डी-जी]

5. ऐसी प्रक्रिया का पालन करने के लिए पक्षकारों की सहमति जो अधिनियम के आज्ञात्मक प्रावधानों के विरूद्ध है, वह अवैधता का उपचार नहीं कर सकती है। पक्षकारो को सहमति से स्वयं की एक प्रक्रिया स्थानापन्न करने की अनुमति देना उन्हें वास्तव में अधिनियम के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति देना है। [191 जी, एच; 192 ए]

[मामला विधि अनुसार निपटारे हेतु औद्योगिक न्यायालय को भेजा गया।] [192 बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या-1597-98/1988

बॉम्बे उच्च न्यायालय, के डब्ल्यू. पी. संख्या 1409 और 1776/1986 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 3.3.1988 से।

डॉ. वाई.एस. चितले और श्रीमती उर्मिला सिरूर अपीलार्थी की ओर से।

अहोक के. गुप्ता, एस.जे. देशमुख, सुश्री वृंदा ग्रोवर और सुश्री बीना गुप्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश सावंत, जे. द्वारा पारित किया गया :-

1. वर्तमान अपीलें महाराष्ट्र व्यापार संघ मान्यता और अनुचित श्रम व्यवहार निवारण अधिनियम, 1971 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत कार्यवाहीयों में प्रतिद्वंद्वी व्यापार संघों के बीच मान्यता की लड़ाई से उत्पन्न हुई हैं।

2. चतुर्थ प्रत्यर्थी-कंपनी के दो कारखाने हैं, एक भांडुप, बॉम्बे में, जिसमें लगभग 1700 कर्मचारी कार्यरत हैं और दूसरी औरंगाबाद में है जिसमें लगभग 1000 कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रथम प्रत्यर्थी-संघ, अर्थात एसोसिएशन ऑफ इंजीनियरिंग वर्कर्स, बॉम्बे ने 7 अप्रैल, 1977 को भांडुप में कंपनी के उपक्रम के लिए अधिनियम की धारा 12 के तहत औद्योगिक न्यायालय, ठाणे से मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। जब प्रथम प्रत्यर्थी-संघ ऐसे मान्यता प्राप्त संघ के रूप में कार्य कर रहा था, कई श्रमिकों ने दावा किया कि उन्होंने उक्त संघ से इस्तीफा दे दिया है और ऑटोमोबाइल

प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया एम्प्लॉईज यूनियन नामक एक नया संघ बनाया है, जो अपीलार्थी-संघ है और इसे व्यापार संघ अधिनियम, 1926 के तहत 7 जनवरी 1981 को पंजीकृत किया गया। 9 अक्टूबर, 1981 को, अपीलार्थी-संघ ने प्रथम प्रत्यर्थी-संघ की मान्यता को रद्द करने के लिए अधिनियम की धारा 13 (1) (ii) के तहत औद्योगिक न्यायालय, ठाणे में इस आधार पर एक आवेदन किया कि भांडुप उपक्रम में उत्तरवर्ती की सदस्यता पिछले छह महीनों के दौरान उस उपक्रम में काम करने वालों की कुल संख्या की 30 प्रतिशत से कम हो गई थी। 16 नवंबर, 1981 को अपने जवाब में, प्रथम प्रत्यर्थी-संघ ने आवेदन में लगाए गए आरोप का खंडन किया और तर्क दिया कि प्रासंगिक अवधि के लिए इसकी सदस्यता 30 प्रतिशत से अधिक थी। अपीलार्थी-संघ ने 1 मार्च, 1982 को अधिनियम की धारा 13(1) (i) के तहत प्रथम प्रत्यर्थी-संघ की मान्यता रद्द करने के लिए एक और आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रथम प्रत्यर्थी-संघ द्वारा मिथ्याव्यपदेशन और धोखाधड़ी से मान्यता प्राप्त की गई और यह भी कि उसे ग़लती से मान्यता प्रदान की गई थी। औद्योगिक न्यायालय ने अपीलार्थी-संघ के पक्ष में राहत प्रदान की। हालाँकि, उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय ने अपास्त कर दिया और उच्च न्यायालय के निर्णय को इस न्यायालय ने बरकरार रखा। यहीं पर पहला झगड़ा ख़त्म हुआ।

3. इसके बाद अपीलार्थी-संघ ने दूसरी लड़ाई शुरू की - इस बार अधिनियम की धारा 14 के तहत स्वयं की मान्यता के लिए और वर्तमान अपीलें उक्त कार्यवाही का परिणाम हैं। 29 जुलाई, 1982 को, अपीलार्थी-संघ ने अधिनियम की धारा 14 के तहत स्वयं को प्रथम प्रत्यर्थी-संघ के स्थान पर एक मान्यता प्राप्त संघ के रूप में पंजीकृत करने के लिए इस आधार पर एक आवेदन दायर किया कि उसके पास भांडुप उपक्रम में श्रमिकों की सबसे बड़ी सदस्यता थी, अर्थात, कुल 1700 श्रमिकों में से 1036, यानी, कुल क्षमता का लगभग 69 प्रतिशत। प्रथम प्रत्यर्थी-संघ ने 7 अक्टूबर 1982 के अपने जवाब में अपीलार्थी संघ के दावे का विरोध किया और दलील दी कि उसके पास लगभग 1400 श्रमिकों की सदस्यता है। अपीलार्थी-संघ और प्रथम प्रत्यर्थी-संघ दोनों ने अपने अभिवचनों के साथ अपनी सदस्यता का विवरण प्रस्तुत किया। 19 अगस्त, 1985 को, अपीलार्थी-संघ ने औद्योगिक न्यायालय में अधिनियम की धारा 12(2) के तहत जांच अधिकारी को दोनों संघों की सदस्यता को सत्यापित करने का निर्देश देकर जांच करने हेतु एक आवेदन दिया। 5 सितंबर 1985 को, औद्योगिक न्यायालय ने अधिनियम के तहत नियुक्त जांच अधिकारी को न्यायालय की सहायता के लिए, दोनों संघोंं की सदस्यता की जांच करने के निर्देश दिए।

4. जब जांच अधिकारी दोनों संघों की सदस्यता की पुष्टि करने की प्रक्रिया में था, तब किस संघ के पास बहुमत है यह निर्णय लेने के लिए गुप्त मतदान के सुझाव दिए गए। सुझाव के अनुसार, प्रथम प्रत्यर्थी-संघ ने 19 दिसंबर, 1985 को औद्योगिक न्यायालय को एक मसौदा प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत किया:

1. किसी भी संघ की मान्यता से संबंधित मुद्दे का निर्णय गुप्त मतदान द्वारा किया जाए और जांच अधिकारी को उसी मतदान का संचालन करने के लिए निर्देशित किया जाए।

2. जिस संघ के पास बहुमत होगा उसे मान्यता प्राप्त व्यापार संघ माना जाएगा और जो बहुमत प्राप्त करने में विफल रहेगा वह कोई प्राविधिकता या आपत्ति नहीं उठाएगा।

3. जो संघ इस प्रकार मतदान में बहुमत हासिल करने में विफल रहता है, वह संघ इस प्रकार घोषित किए गए मान्यता प्राप्त संघ पर तीन साल की अवधि के लिए कोई आपत्ति नहीं उठाएगा।

अपीलार्थी-संघ ने भी, उसी समय, कमोबेश उन्हीं शर्तों में अपना मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसी दिन, यानी 19 दिसंबर, 1985 को, औद्योगिक न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें जांच अधिकारी को आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर कंपनी के परिसर में गुप्त मतदान

करने का निर्देश दिया गया। वे कर्मचारी जो मतदान में वोट देने के हकदार थे, वह वे थे जो 1 जुलाई 1985 को कंपनी की रोल में थे, जो उसके बाद कंपनी में नियोजित हुए, वे ऐसा करने के हकदार नहीं थे। तदनुसार, 4 जनवरी 1986 को एक गुप्त मतदान हुआ। मतदान के परिणाम से पता चला कि कुल 1585 कर्मचारियों ने मतदान किया, लेकिन केवल 1578 मतपत्र वैध थे। अपीलार्थी-संघ को 798 वोट मिले जबकि प्रथम प्रत्यर्थी-संघ को 780 वोट मिले। जांच अधिकारी ने 21 जनवरी, 1986 को औद्योगिक न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 30 जनवरी, 1986 को प्रथम प्रत्यर्थी ने अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करते हुए कहा कि 1 जुलाई, 1985 की कट-ऑफ तारीख सही नहीं थी क्योंकि जो कर्मचारी कंपनी के नियोजन में थे तथा जिन कर्मचारियों की सेवाएँ बीच-बीच में बाधित हुईं, उन्हें अपने मत का प्रयोग करने का अवसर नहीं दिया गया, और मतदान की तारीख के संबंध में एक उचित अधिसूचना होनी चाहिए थी ताकि जो कर्मचारी बाहर थे, वे अपने मत का प्रयोग कर सकें। 10 फरवरी, 1986 को, औद्योगिक न्यायालय ने प्रथम प्रत्यर्थी-संघ द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा करते हुए अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रथम प्रत्यर्थी-संघ के स्थान पर अपीलार्थी-संघ को मान्यता देने का आदेश पारित किया। औद्योगिक न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि दोनों संघों के बीच एक समझौता था, इसलिए अधिनियम के तहत संघ को मान्यता देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया वैध थी। औद्योगिक न्यायालय ने यह भी

अभिनिर्धारित किया कि प्रथम प्रत्यर्थी-संघ की इन आपत्तियों में कोई दम नहीं था कि 1 जुलाई, 1985 को कट-ऑफ तिथि मानने से, जो श्रमिक अन्यथा वोट देने के हकदार थे, उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया और साथ ही यह कि कर्मचारियों को जो मतदान की सूचना दी गई थी वह उचित थी। औद्योगिक न्यायालय ने अपीलार्थी-संघ की मान्यता के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 13(1)(vii) के तहत प्रत्यर्थी-संघ की मान्यता रद्द करने के अपीलार्थी-संघ के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया। 11 फरवरी 1986 को, औद्योगिक न्यायालय ने अधिनियम की धारा 14 के तहत अपीलार्थी-संघ को मान्यता का प्रमाण पत्र प्रदान किया।

5. उक्त निर्णय के खिलाफ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं दायर की गईं, एक, रिट याचिका संख्या 1409/1986, दो श्रमिकों द्वारा जो प्रथम प्रत्यर्थी-संघ के सदस्य थे और दूसरी, अर्थात, प्रथम प्रत्यर्थी-संघ की रिट याचिका संख्या 1776/1986। दोनों याचिकाओं में, यह आरोप लगाया गया कि औद्योगिक न्यायालय ने एक ऐसी प्रक्रिया अपनाकर संघ को मान्यता प्रदान करने से संबंधी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है जो उसके द्वारा अनुमत नहीं थी और इसलिए, वह अवैध और अमान्य थी। इस उद्देश्य के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा *महाराष्ट्र जनरल कामगार यूनियन, बॉम्बे बनाम मजदूर कांग्रेस, बॉम्बे व अन्य*, [1983] एम.एल.जे. 147 के मामले

में दिए गए फैसले पर निर्भर किया गया। अपीलार्थी-संघ ने दोनों याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को उस प्रक्रिया को चुनौती देने से विबंधित कर दिया गया जो पहले प्रत्यर्थी-संघ की सहमति से औद्योगिक न्यायालय द्वारा अपनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा दोनों रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और मुख्य रूप से *महाराष्ट्र जनरल कामगार यूनियन, बॉम्बे* मामले (सुप्रा) में अपने पहले के फैसले पर निर्भर करते हुए औद्योगिक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। वर्तमान अपीलें उक्त दोनों रिट याचिकाओं में पारित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित हैं।

6. इसलिए, इन अपीलों में जो हमारे विचार के लिए प्रकट होता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी-संघ को मान्यता देने के लिए औद्योगिक न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अवैध थी। इसके जवाब के विवेचन के लिए, सबसे पहले अधिनियम के उद्देश्य और योजना का विवेचन करना आवश्यक है। जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है, राज्य सरकार ने नियोक्ताओं और श्रमिकों और उनके संगठनों की एेसी गतिविधियाँ जिन्हें अनुचित श्रम व्यवहार माना जाए की पहचान करने और ऐसे अनुचित श्रम व्यवहार में शामिल होने के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों या उनके संगठनों के खिलाफ कार्यवाही हेतु सुझाव देने के लिए "अनुचित श्रम प्रथाओं पर समिति" नामक एक समिति बनाई थी। समिति

की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, सरकार की, राय थी कि अनुचित श्रम प्रथाओं से निपटने के लिए, अन्य बातों के अलावा, सामूहिक सौदेबाजी की सुविधा के लिए ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्रदान करना और उनके अधिकारों व दायित्वों को बताना, उन्हें कुछ शक्तियां प्रदान करना और अनुचित श्रम प्रथाओं में संलिप्त होने पर कुछ परिणामों का प्रावधान करना आवश्यक था।

7. यह भी एक सामान्य ज्ञान है कि यद्यपि लंबे समय से कुछ वर्गों द्वारा श्रमिकों के सौदेबाजी एजेंट को गुप्त मतदान या अन्यथा, मान्यता देने की जोरदार मांग की जा रही थी, लेकिन राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कुछ स्पष्ट कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया। यह महसूस किया गया कि निर्वाचन तत्व अस्वस्थ रुझान पेश करेगा जो ट्रेड यूनियन आंदोलन, औद्योगिक शांति और स्थिरता के लिए हानिकारक होगा और श्रमिकों, नियोक्ताओं और समग्र रूप से समाज के हितों को खतरे में डालेगा। यह आशंका थी, और आज जो लगभग एक सामान्य विशेषता बन गई है, उससे हम ठीक ही कह सकते हैं, कि निर्वाचन तत्व केवल वर्चस्व हासिल करने के लिए श्रमिकों को रिटर्न का वादा करने में एक-दूसरे को मात देने के लिए चुनाव की पूर्व संध्या पर मशरूम संघों के विकास को प्रोत्साहित करेगा और उद्योग के स्वास्थ्य की परवाह न करने से अंततः अनुचित औद्योगिक संघर्ष, उत्पादन रुकने और यहां तक कि उत्पादन और रोजगार की हानि के साथ

प्रतिष्ठान बंद होने की तरफ अग्रसर करेगा। इसलिए, स्थिर औद्योगिक संबंधों और औद्योगिक शांति के हित में एक ऐसा तंत्र विकसित करना विवेकपूर्ण समझा गया, जिससे श्रमिकों की ओर से सौदेबाजी करने वाले एजेंट को अपने सदस्यों की निर्बाध वफादारी की गारंटी के साथ ऐसे एजेंट के रूप में एक टिकाऊ स्थिरता तथा एक निश्चित अवधि के लिए निर्विवाद प्रतिनिधि चरित्र प्राप्त हो। इसीलिए "मान्यता प्राप्त संघ" या "प्रतिनिधि संघ" जैसी अवधारणाएँ उभरीं और इसके साथ ही इसे निर्धारित करने की मशीनरी भी सामने आई। तंत्र में आवश्यक रूप से एक प्रक्रिया शामिल थी जिसके द्वारा जिन श्रमिकों ने दावा किया था कि वे अपने सौदेबाजी एजेंट के माध्यम से अपने बात कह रहे थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वे उचित समय तक अपना समर्थन बनाए रखें। यह उनके द्वारा एक विशिष्ट अवधि तक संघ की सदस्यता जारी रखकर सुनिश्चित किया जा सकता है। एक निश्चित अवधि तक संबंधित संघ में उनकी सदस्यता जारी रहने से यह सुनिश्चित हो गया कि सौदेबाजी करने वाले एजेंट के साथ उनका जुड़ाव स्थिर और टिकाऊ चरित्र का था और उसके प्रति उनकी निष्ठा और वफ़ादारी एक क्षणभंगुर क्षण की नहीं थी, बल्कि उचित मूल्यांकन से पैदा हुई थी। इस पृष्ठभूमि के आलोक में हमारे द्वारा अधिनियम की योजना की जांच की जानी है जहां तक कि यह संघों की मान्यता और मान्यता रद्द करने से संबंधित है।

8. अधिनियम का अध्याय III संघों की मान्यता से संबंधित है, जबकि अध्याय IV उनके दायित्वों और अधिकारों से संबंधित है। अध्याय VI, अन्य बातों के अलावा, मान्यता प्राप्त संघों की ओर से अनुचित श्रम प्रथाओं से संबंधित है और अध्याय VII न्यायालयों को मान्यता प्राप्त संघोंं के कुछ कृत्यों को अनुचित श्रम प्रथाओं के रूप में घोषित करने की शक्ति देता है। अध्याय VIII न्यायालयों को दंडित करने की शक्ति देता है और अध्याय IX, मान्यता प्राप्त संघों पर शास्ति लगाने की शक्ति देता है। मान्यता प्राप्त संघों को दिए गए विशेषाधिकार और उन पर डाले गए दायित्व और जिम्मेदारियाँ भी विचारणीय हैं।

अध्याय III जो संघों की मान्यता से संबंधित है, उसकी धारा 10 यह स्पष्ट करती है कि उक्त अध्याय प्रत्येक ऐसे उपक्रम पर लागू होगा जहां पचास या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, या पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन नियोजित थे। यदि किसी भी समय उपक्रम में नियोजित कर्मचारियों की संख्या एक वर्ष की अवधि में लगातार 50 से कम हो जाती है, तो अध्याय ऐसे उपक्रम पर लागू होना बंद हो जाता है। उक्त अध्याय की धारा 11 में संघ की मान्यता की प्रक्रिया बताई गई है। एक संघ जो किसी भी उपक्रम के लिए एक मान्यता प्राप्त संघ के रूप में पंजीकृत होने का इच्छुक है, उसे इस उद्देश्य के लिए औद्योगिक न्यायालय में आवेदन करना होगा। हालाँकि, ऐसा आवेदन करने के लिए, संघ के पास उस कैलेंडर माह से ठीक

पहले छह कैलेंडर महीनों की पूरी अवधि के लिए उस उपक्रम में कर्मचारियों की कुल संख्या के कम से कम 30 प्रतिशत सदस्य होने चाहिए, जिसमें वह आवेदन करता है। यदि उपक्रम के सभी व्यवसाय एक ही स्थानीय क्षेत्र में स्थित हैं, तो औद्योगिक न्यायालय को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर यथासंभव आवेदन का निपटारा करना होगा; और किसी अन्य मामले में, चार महीने के भीतर।

धारा 12 वह तरीका बताती है जिसके तहत औद्योगिक न्यायालय आवेदन की जांच करने और मान्यता देने के लिए कार्यवाही करेगा। आवेदन प्राप्त होने पर, औद्योगिक न्यायालय को यह पता लगाने के लिए इसकी प्रारंभिक जांच करनी होती है कि यह सही है या नहीं। इसके बाद न्यायालय को उस उपक्रम के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस प्रदर्शित करना होगा जिसके लिए मान्यता मांगी गई है, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर उक्त आवेदन पर विचार करने का इरादा रखता है, और यह भी कहता है उपक्रम में अन्य संघ या संघों, यदि कोई हो, के साथ-साथ मान्यता के प्रस्ताव से प्रभावित नियोक्ताओं और कर्मचारियों को एक निर्धारित अवधि के भीतर कारण बताना होगा कि आवेदक-संघ को मान्यता क्यों नहीं दी जानी चाहिए। यदि प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद, यदि कोई हो, और यदि मामले में ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझे, औद्योगिक न्यायालय इस निष्कर्ष पर

पहुंचता है कि आवेदक-संघ अन्य बातों के अलावा, धारा 11 में बताई गई शर्तों को पूरा करता है। यह कि प्रासंगिक अवधि के लिए इसकी सदस्यता 30 प्रतिशत से कम नहीं है और यह अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करता है, न्यायालय आवेदक-संघ को मान्यता प्रदान करता है और उसे ऐसी मान्यता का प्रमाण पत्र जारी करता है। दूसरी ओर, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अन्य संघोंं में से किसी के पास कर्मचारियों की सबसे बड़ी सदस्यता है और उक्त अन्य संघ ने एक मान्यता प्राप्त संघ के रूप में पंजीकृत होने के अपने दावे को न्यायालय को सूचित किया है और यदि वह अन्य संघ अधिनियम की धारा 11 और 19 की अपेक्षित शर्तों को भी पूरा करता है, न्यायालय को उक्त अन्य संघ को मान्यता प्रदान करनी होगी। इस स्तर पर धारा 19 में निर्धारित शर्तों को बताना आवश्यक है, जिनका संघ द्वारा मान्यता के लिए अनुपालन किया जाना आवश्यक है। धारा 19, जो अध्याय IV में मान्यता प्राप्त संघोंं के दायित्वों और अधिकारों से संबंधित है, बताती है कि जो संघ अधिनियम के तहत मान्यता चाहता है उसे अपने नियमों में निम्नलिखित मामलों का प्रावधान करना होगा, और उन मामलों की उसके द्वारा विधिवत पालना की जाना चाहिए, अर्थात, (i) संघ की सदस्यता शुल्क प्रति माह पचास पैसे से कम नहीं होनी चाहिए; (ii) संघ की कार्यकारी समिति की बैठक तीन महीने से अधिक के अंतराल पर नहीं होनी चाहिए (iii) संघ की कार्यकारी समिति या आम सभा द्वारा पारित सभी प्रस्तावों को इस उद्देश्य के लिए

रखी गई एक मिनट बुक में दर्ज किया जाना चाहिए और (iv) संघ के खातों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए। धारा 12 में कहा गया है कि किसी भी समय एक ही उपक्रम के संबंध में एक से अधिक मान्यता प्राप्त संघ नहीं होंगे। यह धारा न्यायालय को यह भी निर्देश देती है कि यदि वह इस बात से संतुष्ट नहीं है कि किसी संघ की मान्यता के लिए आवेदन *सद्भाविक* रूप से कर्मचारियों के हित में नहीं किया गया है, बल्कि नियोक्ता के हित में और कर्मचारियों के हितों के पूर्वाग्रह के तहत किया गया है, तो वह किसी ऐसे संघ को मान्यता नहीं देगा। यह धारा न्यायालय को ऐसे किसी भी संघ को मान्यता नहीं देने का आदेश देती है यदि मान्यता के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के छह महीने के भीतर किसी भी समय, आवेदक-संघ ने हड़ताल शुरू करने या जारी रखने के लिए उकसाया हो, सहायता की हो या मदद की हो, जिसे अधिनियम के तहत अवैध माना जाता है।

धारा 13 में संघ की मान्यता रद्द करने और मान्यता प्राप्त संघ के रूप में उसके अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि यदि औद्योगिक न्यायालय मामले में जांच करने के बाद संतुष्ट है कि:

(i) संघ को गलती, मिथ्याव्यपदेशन या धोखाधड़ी के तहत मान्यता दी गई थी, या

(ii) संघ की सदस्यता लगातार छह कैलेंडर महीनों की अवधि के लिए इसकी मान्यता के लिए धारा 11 के तहत आवश्यक न्यूनतम, यानी कर्मचारियों की कुल क्षमता का 30 प्रतिशत से कम हो गई है; या

(iii) मान्यता प्राप्त संघ, अपनी मान्यता के बाद, धारा 19 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफल रहा है; या

(iv) मान्यता प्राप्त संघ का संचालन *सद्भाविक* नहीं किया जा रहा है और कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए नियोक्ता के हित में किया जा रहा है; या

(v) इसने किसी ऐसी हड़ताल को शुरू करने या जारी रखने के लिए उकसाया है,सहायता या मदद की है जिसे अधिनियम के तहत अवैध माना जाता है; या

(vi) व्यापार संघ अधिनियम, 1926 के तहत इसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है;या

(vii) उक्त अध्याय के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संघ के स्थान पर किसी अन्य संघ को मान्यता दी गई है, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

औद्योगिक न्यायालय को कुछ निर्दिष्ट अवधि के लिए मान्यता प्राप्त संघ के अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति भी दी गई है और यदि वह

संतुष्ट है कि परिस्थितियों में पूर्व का मार्ग उचित है, तो वह मान्यता रद्द करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है।

धारा 14 जिसे हम विचार में ले रहे हैं, अन्य संघ की मान्यता के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है, जब क्षेत्र में पहले से ही एक मान्यता प्राप्त संघ मौजूद हो। इसमें कहा गया है कि कोई भी संघ किसी मान्यता प्राप्त संघ के स्थान पर एक मान्यता प्राप्त संघ के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवेदन कर सकता है जो उपक्रम के लिए पहले से ही पंजीकृत है। ऐसा अन्य संघ इस आधार पर आवेदन कर सकता है कि उसके पास उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों की सबसे बड़ी सदस्यता है। हालाँकि, ऐसे आवेदन करने से पूर्ववर्ती शर्तें यह हैं कि:

(i) मान्यता प्राप्त संघ के पंजीकरण के दिन से कम से कम दो वर्ष की अवधि बीत चुकी हो;

(ii) ऐसे संघ की मान्यता के लिए पिछले आवेदन के निपटारे की तारीख से एक वर्ष की अवधि बीत चुकी होनी चाहिए;

(iii) संघ को धारा 11 के तहत मान्यता के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा;और इसके साथ ही,

(iv) जिस कैलेंडर माह में ऐसा आवेदन किया गया है, उससे ठीक पहले छह कैलेंडर महीनों की पूरी अवधि के दौरान इसकी सदस्यता मान्यता प्राप्त संघ की सदस्यता से अधिक होनी चाहिए;

(v) धारा 12 के प्रावधान (जिसमें धारा 19 में निर्दिष्ट शर्तें भी शामिल हैं) संतुष्ट की गई है।

हालाँकि, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अन्य संघों में से किसी के पास कर्मचारियों की सबसे बड़ी सदस्यता है और ऐसे अन्य संघ ने भी न्यायालय को एक मान्यता प्राप्त संघ के रूप में पंजीकृत होने के अपने दावे को सूचित किया है और ऐसे अन्य संघ भी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। न्यायालय दूसरे संघ को मान्यता प्रदान करेगा।

धारा 15 उस संघ की पुनः मान्यता का प्रावधान करती है जिसकी मान्यता इस आधार पर रद्द कर दी गई है कि उसे किसी गलती के तहत मान्यता दी गई थी या इस आधार पर कि छह कैलेंडर महीनों की लगातार अवधि के लिए उसकी सदस्यता धारा 11 के तहत आवश्यक न्यूनतम संख्या से कम हो गई थी, अर्थात, 30 प्रतिशत से कम। इस तरह का आवेदन मान्यता रद्द किए गए संघ द्वारा उसकी मान्यता रद्द होने की तारीख से तीन महीने के बाद किया जा सकता है। ऐसा आवेदन किए जाने पर, ऊपर उल्लिखित धारा 11 और 12 के प्रावधान उस पर लागू होंगे जैसे वे संघ की प्रारंभिक मान्यता के लिए किए गए आवेदन पर लागू होते हैं।

हालाँकि, यह धारा यह भी स्पष्ट करती है कि यदि संघ की मान्यता किसी अन्य आधार पर रद्द कर दी गई है, तो वह न्यायालय की अनुमति के अलावा ऐसी मान्यता रद्द होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनः मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।

धारा 16 में कहा गया है कि भले ही संघ की मान्यता रद्द कर दी जाती है, लेकिन यह संघ या उसके किसी भी सदस्य को इस तरह के रद्दीकरण से पहले अधिनियम के तहत लगाए गई किसी भी शास्ति या दायित्व से राहत नहीं देगा। धारा 18 एक से अधिक उपक्रमों के लिए संघोंं की मान्यता का प्रावधान करती है। धारा 20 जो अध्याय IV में धारा 19, 21 और 23 के साथ आती है, अन्य बातों के अलावा, मान्यता प्राप्त संघोंं के दायित्वों और अधिकारों से संबंधित है, एक मान्यता प्राप्त संघ और ऐसे अधिकारियों और कार्यालय के सदस्यों-कर्मचारियों और मान्यता प्राप्त संघ के सदस्यों के अधिकारों से संबंधित है। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए नियमों के तहत अधिकृत किया जा सकता है। उन अधिकारों में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:

(ए) परिसर में सदस्यों द्वारा संघ को देय राशि एकत्र करना, जहां उन्हें मजदूरी का भुगतान किया जाता है;

(बी) उस उपक्रम के परिसर में एक नोटिस-बोर्ड लगाना या लगवाना जिसमें उसके सदस्य कार्यरत हैं और उस पर नोटिस चिपकाना या लगवाना;

(सी) औद्योगिक विवादों की रोकथाम या निपटारे के उद्देश्य से-

(i) संबंधित कर्मचारियों, या उसके सदस्यों के साथ उपक्रम के परिसर में चर्चा करना

(ii) कर्मचारियों की शिकायतों पर नियोक्ता या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से मिलना और चर्चा करना;

(iii) यदि आवश्यक हो, तो उपक्रम में किसी भी स्थान का निरीक्षण करना, जहां कोई कर्मचारी कार्यरत है;

(डी) किसी घरेलू या विभागीय जांच में किसी कर्मचारी या कर्मचारियों की ओर से उपस्थित होना।

यह धारा यह भी स्पष्ट करती है कि यह केवल मान्यता प्राप्त संघ है, जब कोई ऐसा हो, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के तहत गठित कार्य समिति में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने नाम निर्देशित व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा और केवल मान्यता प्राप्त संघ को, उक्त अधिनियम में कुछ कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा और ऐसी कार्यवाहियों में लिए गए निर्णय या दिए

गए आदेश ऐसे उपक्रम के सभी कर्मचारियों पर बाध्यकारी होंगे और उस सीमा तक उक्त अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। धारा 21 में कहा गया है कि जब कोई मान्यता प्राप्त संघ है, तो उपक्रम के किसी भी कर्मचारी को अधिनियम की अनुसूची IV के आइटम 2 और 6 में निर्दिष्ट अनुचित श्रम प्रथाओं से संबंधित किसी भी कार्यवाही में उपस्थित होने या कार्य करने या प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मान्यता प्राप्त संघ के माध्यम के अलावा नहीं दी जाएगी। इस नियम का एकमात्र अपवाद बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम द्वारा शासित उपक्रमों के मामले में है जहां उस अधिनियम की धारा 30 के तहत कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को विशेष विशेषाधिकार दिया जाता है। अधिनियम के अन्य प्रावधानों के बारे में विचार करना आवश्यक नहीं है।

9. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनियम के तहत किसी संघ को मान्यता देना या मान्यता रद्द करना ऐसा मामला नहीं है जो केवल चुनाव लड़ने वाले संघों या उसके सदस्यों से संबंधित है। यह संबंधित उपक्रम के सभी कामगारों और उद्योग और समाज के हितों के लिए सामान्य रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी संघ मात्र इस आधार पर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त संघ के रूप में पंजीकृत होने का हकदार नहीं है कि वह सदस्यता की योग्यता को पूरा करता है। यदि न्यायालय संतुष्ट है कि कोई संघ धारा 12(5) और 12(6) के तहत उल्लिखित कारणों से अयोग्य है या

धारा 19 में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो औद्योगिक न्यायालय को ऐसे किसी संघ को मान्यता देने से मना किया गया है, चाहे उसकी सदस्यता कुछ भी हो। किसी नए संघ की मान्यता के लिए आवेदन पर विचार करने से पहले, यदि कोई मान्यता प्राप्त संघ है, तो उसके पंजीकरण के बाद दो साल की अवधि और व्यतीत हो जानी चाहिए। एक संघ जिसकी मान्यता धारा 13 के खंड (ii) में निर्दिष्ट आधार पर रद्द कर दी गई है, वह तीन महीने की अवधि के लिए नया आवेदन नहीं कर सकता है, और यदि उसकी मान्यता किसी अन्य आधार पर रद्द कर दी गई है तो वह न्यायालय की अनुमति के बिना बाद वाले मामले में रद्दीकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर मान्यता के लिए नया आवेदन नहीं कर सकता है। इसलिए, सदस्यता योग्यता के अलावा, न्यायालय को इस संबंध में भी संतुष्ट होना होगा कि आवेदक-संघ अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत मान्यता के लिए या मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य नहीं है।

10. जहां तक सदस्यता योग्यता का संबंध है, अधिनियम में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त करने के लिए, आवेदक-संघ के पास सबसे पहले कम से कम छह कैलेंडर महीनों की पूरी अवधि के लिए उपक्रम के न्यूनतम 30 प्रतिशत कर्मचारियों की सदस्यता होनी चाहिए उस महीने से पहले के महीने जिसमें मान्यता के लिए आवेदन किया गया है। जब

आवेदक-संघ मौजूदा मान्यता प्राप्त संघ को विस्थापित करके अपने लिए मान्यता चाहता है, तो आवेदक-संघ को इसके अलावा, यह भी संतुष्ट करना होगा कि न केवल उस कैलेंडर माह जिसमें उसने आवेदन किया से ठीक पहले के छह कैलेंडर महीनों के दौरान उसकी 30 प्रतिशत सदस्यता थी, लेकिन उक्त अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त संघ की सदस्यता की तुलना में इसकी सदस्यता भी अधिक थी। इसलिए, सदस्यता के संबंध में भी, संबंधित संघ द्वारा जिसे संतुष्ट किया जाना चाहिए, वह न केवल उसकी न्यूनतम सदस्यता योग्यता है, बल्कि निरंतर निर्दिष्ट अवधि में उसकी प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठता भी है। इसके अलावा जिस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए वह सर्वोपरि तथ्य यह है कि यह प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान संघ के कामगारों की सदस्यता है, न कि किसी विशेष दिन पर उनका वोट जो अधिनियम के तहत संघ को उसका प्रतिनिधि चरित्र देता है। ऐसी सदस्यता द्वारा निर्धारित इसका प्रतिनिधि चरित्र ही किसी संघ को मान्यता के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है। इसलिए मतदान में इसके पक्ष में कितना भी भारी वोट क्यों न हो, यह किसी संघ को अधिनियम के तहत मान्यता का हकदार नहीं बनाएगा। इसलिए, मतदान द्वारा या अधिनियम में निर्धारित विधि के अलावा किसी अन्य विधि से मान्यता अधिनियम के लिए अपरिचित है।

11. वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है कि औद्योगिक न्यायालय द्वारा जो किया गया था वह एक ऐसी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त संघ के रूप में पंजीकरण की अनुमति देना था जो स्पष्ट रूप से अधिनियम से अलग थी। न्यायालय ने वास्तव में पक्षकारों को अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार करने की अनुमति दी और एक सरल तरीका अपनाकर निर्देश दिया कि जो कोई भी किसी विशेष दिन मतदान करने वाले कर्मचारियों के बहुमत पर अधिकार रखेगा, वह मान्यता प्राप्त संघ का दर्जा पाने का हकदार होगा। वास्तव में, न्यायालय ने विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10, 11, 12, 14 और 19 के अनिवार्य प्रावधानों की अनदेखी की। इतना ही नहीं, बल्कि इस तरीके को अपनाकर न्यायालय यह पता लगाने में भी विफल रहा कि मतदान करने वाले श्रमिकों में से कोई भी मतदान के दिन सहित किसी भी समय दोनों संघो में से किसी का सदस्य था या नहीं। यह इस तथ्य से अलग है कि जो पता लगाया जाना है वह निर्दिष्ट अवधि में लगातार चुनाव लड़ने वाले संघों की विशिष्ट सदस्यता है, ओवरलैपिंग सदस्यता को नजरअंदाज किया गया है।

12. एक प्रक्रिया का पालन करने के लिए पक्षकारों की सहमति जो अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के विरूद्ध है, अवैधता का उपचार नहीं कर सकती है। उन कारणों से जो हमने पहले इंगित किए हैं, विधायिका ने संघ के प्रतिनिधि चरित्र को निर्धारित करने के लिए मतदान को एक विधि

के रूप में नहीं चुना और ऐसा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई। इन परिस्थितियों में, पक्षकारों को सहमति से अपनी स्वयं की एक प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करने की अनुमति देना वास्तव में उन्हें अधिनियम के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति देने के समान है।

13. इसलिए, हमारा विचार है कि मतदान की विधि का पालन करके अपीलार्थी-संघ को अधिनियम के तहत मान्यता प्रदान करने वाला औद्योगिक न्यायालय का आदेश अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में होने से *प्रथम दृष्टया* अवैध है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने *महाराष्ट्र जनरल कामगार संघ, (सुप्रा)* के मामले में अपने पूर्व के निर्णय पर निर्भर करते हुए उक्त आदेश में उचित रूप से हस्तक्षेप किया था। परिणामस्वरूप, अपीलें विफल हो जाती हैं और खारिज की जाती हैं। मामले को विधि अनुसार निपटारे के लिए औद्योगिक न्यायालय में भेजा गया। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी-संघ और प्रत्यर्थी-कंपनी के बीच कोई समझौता हुआ है, तो उन्हें अपना पूरा कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। अपीलार्थी-संघ वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किसी भी समझौते में प्रवेश नहीं करेगा और यदि कोई समझौता किया जाना है, तो यह केवल प्रत्यर्थी-संघ की सहमति से किया जाएगा, जिसने अभी तक अपनी मान्यता नहीं खोई है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

एन.वी.के. अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अणिमा दाधीच द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयाेग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अाधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।